

16-12-21 पत्रावली पेशदुर्गी वकील प्राधी उपस्थित / प्रकरण
में निर्णय इस प्रकार पारित किया जाता है कि चूंकि
प्राधी वादगुस्त भूमि का खातदार काश्तकार
है। अतः अप्राधीगण को ग्राम करडाला के ख.
नं. 169/5, 209/56, 79 व 80 में प्राधी द्वारा
ट्यूबवैल खुदवा कर लाठीट कैमेक्शन लेकर
सिंचाई के उपयोग में लाने एवं बुधि कार्य करने
में व्यवधान कारित नहीं करने हेतु अस्थाई
निषेधाज्ञा से फावन्द किया जाता है निर्णय
लिखा जाकर मुलेन्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर
से कम हो।

3
उपखण्ड अधिकारी
रूपनाथ (अधिवक्ता)

